प्रेस नोट 01- दिनांक 06.06.2024
थाना फतेहपुर चौरासी,जनपद उन्नाव ।

बच्चे की हत्या करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा बच्चे की हत्या करने वाली अभियुक्ता को मय आलाकत्ल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.06.2024 को थाना फतेहपुर चौरासी पर महेश पुत्र बसंत निवासी गोंदरी थाना फतेहपुर 84 जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गई कि आज समय करीब 17.00 बजे मेरा भतीजा अक्षत पुत्र दिनेश प्रजापति उम्र करीब 04 वर्ष 06 माह निवासी उपरोक्त, जो खेलते खेलते गांव से कही गुम हो गया है। हमारे द्वारा उसे आस पास ढूंढा गया, परन्तु अक्षत उपरोक्त का कुछ पता नहीं चला है। सूचना पर थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 165/24 धारा 363 पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस टीमों द्वारा अक्षत उपरोक्त को खोजा जा रहा था, तभी समय करीब 23.30 बजे अक्षत का शव गांव के ही निवासी सुरेश पुत्र रामस्वरूप उम्र करीब 40 वर्ष के घर में भूसे के ढेर में बोरी में भरा हुआ मिला है। जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। गुमशुदा के शव की बरादमगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे 302/201 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा धारा- 363 भादवि का लोप किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी/त्वरित कार्यवाही हेतु तलाश पतारसी/सुरागरसी की गयी जिसमे अभियुक्ता कु0 मधू पुत्री रमेश कश्यप उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम गोंदरी थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव का नाम प्रकाश मे आया। आज दिनांक 06.06.2024 को प्र0नि0 श्री राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी मय हमराह फोर्स द्वारा घटना कारित करने वाली मधू पुत्री रमेश कश्यप उम्र करीब 19 वर्ष नि0 उपरोक्त को मय आलाकत्ल चाकू के साथ ग्राम गोदरी से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ में मधू उपरोक्त ने बताया कि वह अपनी बहन के देवर के साथ भाग गई थी, जिसके कारण अक्षत की माँ उसको चिढ़ाती थी, इसी कारण मैने अक्षत की गला काटकर हत्या कर दी।

अभियुक्ता का विवरण

1. मधू पुत्री रमेश कश्यप उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम गोंदरी थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव

अभियुक्ता के कब्जे से बरामद

आलाकत्ल एक अदद चाकू

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
2. हे0का0 मनवीर सिंह,
3. हे0का0 अरूण कुमार,
4. हे0का0 विनोद कुमार,
5. का0 अतुल यादव,
6. का0 जितेन्द्र सिंह
7. म0का0 नीतू सिकरवार

प्रेस नोट 02- दिनांक 06.06.2024
थाना सफीपुर,जनपद उन्नाव।

करीब 28 लाख रुपये कीमती 13 कुंतल 81 किलो 600 ग्राम नाजायज डोडा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में लखनऊ STF टीम व थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को 13 कुंतल 81 किलो 600 ग्राम नाजायज डोडा (कीमत करीब 28 लाख रुपये) बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 06.06.2024 को लखनऊ STF टीम प्रभारी उ0नि0 श्री प्रताप नरायण सिंह मय हमराह टीम व प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण सिंह मय हमराह पुलिस बल के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1.अनवार पुत्र अबरार उम्र 22 वर्ष निवासी मोहल्ला इन्द्रपुरी रिठौरा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली व 2.निजाम पुत्र निसारुद्दीन निवासी बेनीपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली उम्र करीब 20 वर्ष को महंदीखेड़ा निर्माणवत पुलिया कस्बा सफीपुर के पास से एक अदद डीसीएम में 138 अदद बोरी में कुल 13 कुन्तल 81 किलो 600 ग्राम नाजायज डोडा (कीमत करीब 28 लाख रुपये) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/2024 धारा 8/15/29/60(3) NDPS ACT पंजीकृत किया गया तथा डीसीएम को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1.अनवार पुत्र अबरार उम्र 22 वर्ष निवासी मोहल्ला इन्द्रपुरी रिठौरा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली
2.निजाम पुत्र निसारुद्दीन निवासी बेनीपुर थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी-

138 अदद बोरी में कुल 13 कुन्तल 81 किलो 600 ग्राम नाजायज डोडा

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण सिंह
उ0नि0 जितेन्द्र पाण्डेय
उ0नि0 कल्लूराम यादव
STF टीम प्रभारी उ0नि0 प्रताप नरायण सिंह
STF हे0का0 दिलीप कुमार
STF हे0का0 कुलदीप सिंह
STF हे0का0 मुकेश प्रजापति
STF हे0का0 सरोज अवस्थी
का0 गिरीश कुमार
का0 राजकुमार सोनकर
का0 जितेन्द्र नादर
का0 राहुल दिवाकर
का0 गौरव कुमार

प्रेस नोट 03- दिनांक 06.06.2024
थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव।

चोरी की ई-रिक्शा की बैटरी के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी की ई रिक्शा की बैटरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 06.06.2024 को उ0नि0 अंजनी कुमार सिंह व उ0नि0 श्री राजीव कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा थाना गंगाघाट पर पंजीकृत मु0अ0स0 264/2024 धारा 379 IPC से संबन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. लखन कश्यप उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र किशोर कश्यप निवासी ग्राम नेतुआ थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव 2. सुधीर गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सुनील गौतम निवासी आजाद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव को चोरी की एक अदद ई-रिक्सा की बैटरी बरामद कर ट्रांस गंगा सिटी गेट नम्बर 1 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गई।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. लखन कश्यप उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र किशोर कश्यप निवासी ग्राम नेतुआ थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
2. सुधीर गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सुनील गौतम निवासी आजाद नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी-

चोरी की एक अदद ई रिक्शा की बैटरी

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अंजनी कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार
3. का0 आदित्य कुमार
4. का0 अरूण कुमार
5. का0 रजत कुमार